उत्तरांचल मत्स्य विधेयक, 2003

(विधेयक संख्या 07 वर्ष 2003)

उत्तरांचल में मछली पालन की व्यवस्था करने के लिये एक अधिनियमः–

उत्तरांचल राज्य में मछली पालन की व्यवस्था तथा तद्सम्बन्धी विषयों के लिए भारत गणराज्य के 54वें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है.

1.संक्षिप्त नाम, प्रसार तथा प्रारम्भः–

(1) यह अधिनियम उत्तरांचल मत्स्य अधिनियम, 2003 कहलायेगा।

(2) यह सम्पूर्ण उत्तरांचल राज्य में लागू होगा ।

(3) यह राज्य सरकार के सरकारी गजट में विज्ञापित होने के दिनॉक से प्रभावी माना जायेगा।

2.**परिभाषाएंः**– इस अधिनियम में जब तक कोई अन्यथा अपेक्षित न होः–

(1) "**मछली**" का तात्पर्य मछली, शैल फिश,फिन फिश,कछुआ, पानी में उगने वाले ऐसे पौधे जो मछली पालने के लिये महत्वपूर्ण है और मछली के जीवन काल की प्रत्येक अवस्था की मछली सम्मिलित है ।

(2) "**फिशिंग क्राफ्ट**" का तात्पर्य मानव चालित या इंजन चालित नाव से है जो मछली शिकारमाही या मछली यातायात के उपयोग में लाया जाय ;

(3) "**शिकारमाही उपकरण**" का तात्पर्य मछली पकड़ने के जाल,कांटे की लाइन,रौड लाइन,शिकारमाही यंत्रों से है ;

(4) "**मछली पकड़ने का अपराध**" का तात्पर्य ऐसे अपराध से है जो इस अधिनियम के आदेशों के अधीन दण्डनीय हो;

(5) "**मत्स्य पदाधिकारी**" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है ,जिसे राज्य सरकार ने इस अधिनियम के समस्त या किसी ऐसे उद्देश्य की पूर्ति के लिये या कोई ऐसा काम करने के लियें नियुक्त किया हो, जिसके करने का इस अधिनियम या इसके अन्तर्गत बनाये गये किसी नियम के अधीन आदेश हो, परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कोई भी पुलिस अधिकारी,जो पद में सब इन्सपेक्टर से निम्न पद हो, इस प्रकार नियुक्त न किया जायेगा।

(6) **"स्थिर इंजन"** का तात्पर्य किसी ऐसे जाल, पिजड़े वंसी(फंदा) या मछली पकड़ने के किसी ऐसे उपकरण से है, जिसे भूमि में लगाया गया हो या जिसे किसी अन्य प्रकार से स्थिर कर दिया गया हो ;

(7) **"निजी जलाशय"** का तात्पर्य किसी ऐसे जलाशय से है, जो किसी व्यक्ति या धार्मिक संस्था की एकांकी सम्पत्ति हो या जिसमें किसी व्यक्ति या धार्मिक संस्था या समिति को मछली पकड़ने का स्वामी ,पट्टेदार या किसी अन्य रूप में एकाधिकार प्राप्त हो और इसमें ऐसे तालाब,पौंड,प्राकृतिक कृत्रिम झील आदि भी सम्मिलित है, जिन्हें उनके स्वामी ने अपने व्यय से खुदवाया हो और जिनमें वर्षा ऋतु में नैसर्गिक पानी अर्थात् नदियों,नहरों, धाराओं और झीलों का पानी न आता हो;

(8) **"राज्य सरकार"** का तात्पर्य उत्तरांचल राज्य की सरकार से है ;

(9) मत्स्य अभ्यारण्य/संरक्षित जल स्रोत का तात्पर्य उन जल स्रोतों के सन्दर्भ में है जिनमें किसी भी कारण वश मछली का शिकार करना प्रतिबन्धित है। ऐसे सभी जल स्रोतों को मत्स्य जैव विविधता के संरक्षण हेतु राज्य सरकार द्वारा गजट में प्रकाशित कर प्रतिबन्धित क्षेत्र घोषित किया जाए।

3–<u>नियमों द्वारा चुने हुये जलाशयों में मछली मारने पर लाइसेंस लगाना और उसका निषेध करना</u>:–

(1) राज्य सरकार इस धारा में आगे बताये गये प्रयोजनों के लिये नियम बना सकती है और ऐसे नियमों के अधीन यह घोषणा करेगी कि किन जलाशयों के सम्बन्ध में यह सब नियम या इनमें से लागू होंगे।

(2) राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके, ऐसे नियम या इनमें से किसी को किसी निजी जलाशय पर उसके स्वामी और उन सब व्यक्तियों की लिखित स्वीकृति से लागू कर सकती है जिनका उस समय उसमें से मछलियां पकड़ने का अधिकार हो या यदि राज्य सरकार को इस बात का संतोष हो जाय कि स्वीकृति बिना उचित कारण के रोक ली गई है, तो बिना उनकी स्वीकृति के भी लागू कर सकती है ।

(3) **ऐसे नियम**:–

(क) नीचे लिखी हुई सब बातों या उनमेंसे किसी बात को निषिद्व या नियमित कर सकते है ।

अर्थात

(1) स्थिर इंजनों को लगाना और चलाना।

(2) जल प्रबन्धन कार्यक्मों के अर्न्तगत विभिन्न विभागों द्वारा नदी नालों में निर्मित चैक डेमों का स्वामित्व सम्बन्धित विभागों का होगा किन्तु मत्स्य विकास एवं प्रबन्धन का अधिकार मत्स्य पालन विभाग में निहित होगा। इन चैक डेमों में मत्स्य पालन एवं संग्रहण के लिए मत्स्य विभाग द्वारा स्थानीय ग्रामीण सहायता समूहों या मत्स्य सहकारी समितियों को पटटे पर दिए जाने का प्रावधान होगा।

(3) जालों का नाम, प्रकार और जाल के फंदे या मछली पकड़ने के लिये प्रयोग में लाये जाने वाले किसी अन्य उपकरण का आकार और उनको उपयोग में लाने का ढंग।

(ख) लाइसेंस के बिना मछली पकड़ने का निषेध करना, ऐसे लाइसेंस दिये जाने की विधि निर्धारित करना,उनके लिये शुल्क नियत करना और जिन प्रतिबन्धो के साथ वह दिये जायेंगें उनको नियत करना।

(ग) बन्दूक, बर्छी, धनुष और वाण या उसी प्रकार के हथियारों द्वारा मछली मारना या मारने का प्रयत्न करना,जलाशय को विषैला करना या कारखानों इत्यादि के गंदे पानी से जलाशय गंदा करना;

(घ) ऋतुएं निर्धारित करना, जिनमें कि विशेष प्रकार की छोटी या बड़ी मछली या उनके अंडे पकड़ने, मारने, बेचने का निषेध होगा;

(ड़) कम से कम माप तौल निर्धारित करना जिससे कम की किसी निर्धारित प्रकार की कोई मछली मारी या बेची न जायेगी ;

(च) किसी निर्दिष्ट जलाशय में नियत अवधि के लिये मछली पकड़ने का निषेध करना;

(छ) किसी क्षेत्र या क्षेत्रों के बाहर मछलियों के निर्यात और उस मूल्य की व्यवस्था करना जिस पर सब या किसी विशेष प्रकार की मछलियां निर्दिष्ट मण्डियों में खरीदी या बेची जा सकती है ;

(ज) किसी तालाब या झील के स्वामी,साधि बन्धक ग्राही या पट्टेदार को यह आदेश देना कि वह ऐसे तालाब, झील में किसी प्रकार या प्रकारों की मछलियां इकठ्ठा करें;

(झ) प्रजनन काल में नदी नालों एवं अन्य प्रजनन स्थलों में प्राकृतिक प्रजनन हेतु मत्स्य दोहन निषेध रहेगा। निजी क्षेत्र में हैचरी बनवाने हेतु विभाग द्वारा केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं उपलब्ध करायी जाएगी।

(य) प्रगतिशील मत्स्य कृषकों को राज्य स्तर पर पुरस्कृत करने का प्रावधान किया जाएगा।

(ट) मत्स्य जीवी वर्ग जिसमें बंगाली, आदिवासी,मछुवा, निषाद, कश्यप समाज आदि भी सम्मिलित हैं के लिए मात्स्यिकी प्रशिक्षण के साथ साथ मछली पालन हेतु प्रोत्साहन दिया जाएगा।

(ठ) मछली पालन व्यवसाय की उन्नति एवं मत्स्य कृषकों के आर्थिक व सामाजिक उत्थान हेतु विभाग द्वारा संघ या समिति स्थापित करके प्रदत्त सुविधाएं उपलब्ध करायी जाएंगी।

(ड) विभाग प्रगतिशील कृषकों को निजी क्षेत्र में मत्स्य पालन हेतु समय समय पर केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे- बैंक ऋण, तालाब निर्माण, मत्स्य बीज, मत्स्य आहार, प्रशिक्षण आदि उपलब्ध कराएगा।

(ढ) मछली बाजार को नियंत्रित करना, मछली का प्रसंस्करण एवं मछली उत्पाद का क्रय एवं उपयोग को नियंत्रित करना।

(ण) निर्दिष्ट स्थानों में मछली पकड़ने के उपकरणों का संग्रह नियंत्रित करना।

(त) निर्दिष्ट स्थानों में सब या विशेष मछली प्रजाति या मछली उत्पादन प्रजाति का यातायात आवश्यकतानुसार नियंत्रित करना ।

<u>ऐसे नियम, अन्य बाते–</u>

(क) राज्य से मछली या मत्स्य उत्पाद के आयात तथा निर्यात के लिये मात्रा निर्धारित करना।

(ख) मत्स्य अधिकारी द्वारा जारी लाइसेंस के बिना मत्स्य आयात,निर्यात व यातायात का निषेध करना अन्यथा शर्तें निर्धारित करना।

(ग) लाइसेंस के प्रारूप, फार्म निर्धारित करना।

(घ) निर्दिष्ट सीमा के अन्तर्गत मछली के परीक्षण का अधिकार।

(4)इस धारा के अन्तर्गत किसी नियम के बनाने में राज्य सरकार नीचे लिखी हुई बातों की व्यवस्था कर सकती है ।

(क) किसी ऐसे उपकरण को छीन लेना, हटा देना और जब्त कर लेना, जो नियमों के विरूद्व मछली पकड़ने के लियें स्थापित किया या उपयोग में लाया गया हों ;

(ख) किसी ऐसे उपकरण द्वारा पकड़ी हुई किसी मछली को जब्त कर लेना और

(ग) मछलियों की किसी ऐसी पेटी को जब्त करना, जहां नियम का उल्लघंन करके किसी के पास हो या कहीं भेजी जा रही हो।

(5) इस अधिनियम के अधीन कृत समस्त नियमों, उनके बनाये जाने के पश्चात यथाशीघ्र जो की जा सकेगी, को राज्य विधान सभा के समक्ष जब यह एक सत्र या अनुवर्ती कई सत्रों के तारतम्य में चौदह दिनों की विस्तारित कुल अवधि के लिये सत्र में है, रखी जायेगी और जब तक कोई पश्चातवर्ती तिथि न नियत की जाय उनके शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से ऐसे उपान्तरणों या शून्यीकरण जैसा विधायिका करने को सहमत हो के अध्यधीन प्रभाविता ग्रहण करेगी, इसलिये, हालांकि, ऐसा कोई उपान्तरण या शून्यीकरण उसके अधीन पूर्व में कृत किसी कार्य की वैधता पर विपरीत प्रभाव डाले बिना होगी ।

4–मछलियों की ब्रिकी को निषेध करने का अधिकारः– राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा यह निषेध कर सकती है कि किसी क्षेत्र या क्षेत्रों में, जो इस सम्बन्ध में निर्दिष्ट किये जाये, कोई ऐसी मछली बिकी या अदला बदली के लिये प्रस्तुत या प्रदर्शित न की जाय जो धारा–3 की उपधारा(3) के अधीन बनाये गये किसी नियम का उल्लघंन करके पकड़ी गई हो।

5–दण्डः– धारा 3 के अधीन बनाये गये किसी नियम का या किसी ऐसे निषेध का उल्लंघन करने पर जिसके सम्बन्ध में, धारा 4 के अधीन विज्ञप्ति निकाली गई हो, नीचे लिखा हुआ दण्ड दिया जायेगा ।

(1) पहली बार दण्डनीय घोषित होने पर किसी भी प्रकार के कारावास का दण्ड, जिसकी अवधि तीन मास तक हो सकती है या अर्थदण्ड जो पांच सौ रूपये तक हो सकता है या दोनो ही दण्ड,और

(2) बाद के प्रत्येक बार दण्डनीय घोषित होने पर किसी भी प्रकार के कारावास का दण्ड जिसकी अवधि छः मास हो सकती है या अर्थदण्ड जो एक हजार रूपये तक हो सकता है या दोनो ही दण्ड।

6–विस्फोटकों द्वारा मछली विनाश पर दण्ड–

(1) यदि कोई व्यक्ति विस्फोटकों के प्रयोग से, किसी जल क्षेत्र में किसी मछली को मारता, पकड़ता है या नष्ट करता है, पहली बार दण्डनीय घोषित होने पर किसी भी प्रकार के कारावास का दण्ड जिसकी अवधि एक वर्ष तक हो सकती है या अर्थदण्ड, जो पांच हजार रूपये तक हो सकता है या दोनो ही दण्ड।

(2) बाद के प्रत्येक बार दण्डनीय होने पर किसी भी प्रकार के कारावास का दण्ड जिसकी अवधि तीन वर्ष तक हो सकती है या अर्थदण्ड, जो पांच हजार रूपये तक हो सकता है या दोनो ही दण्ड।

(3) ऐसी नदी, जलधारा, खाल, तालाब, झील, जलाशय जो मछली के निवास स्थल हैं, के निकट विस्फोटक पदार्थ, जो मछली मारने में प्रयोग हो सकते है, का संग्रह दण्डनीय घोषित होने पर किसी भी प्रकार के कारावास का दण्ड जिसकी अवधि दो वर्ष तक हो सकती है या अर्थ दण्ड, जो तीन हजार रूपये तक हो सकता है या दोनों ही दण्ड।

7.जहर द्वारा मछली विनाश पर दण्ड–

(1) यदि कोई व्यक्ति किसी जहर,ब्लीचिंग पावडर, चूना या विषैले पदार्थ, विद्युत धारा से मछली पकड़ता है या नष्ट करता है, दण्डनीय घोषित होने पर, किसी भी प्रकार के कारावास का दण्ड जिसकी अवधि तीन वर्ष तक हो सकती है या अर्थ दण्ड, जो पांच हजार रूपये तक हो सकता है या दोनो ही दण्ड।

(2) निषेध काल में मछली मारने या पकड़ने में कोई व्यक्ति धारा–3, उपधारा(3) भाग (घ) के अधीन निर्दिष्ट निषेध अवधि में जाल से मछली पकड़ने या मारने पर किसी भी प्रकार का कारावास जिसकी अवधि दो वर्ष तक हो सकती है या अर्थ दण्ड जो तीन हजार रूपये तक हो सकता है या दोनो ही दण्ड।

(3) **संज्ञेय व गैर जमानती अपराध**– इस अधिनियम की धारा 6 और 7 के अन्तर्गत सभी अपराध संज्ञेय और गैर जमानती होंगे जो दण्ड प्रकिया संहिता 1973 के अधीन निहित है

8.अधिनियम के अधीन किये गये अपराधों के लिये बिना वारन्ट के गिरफ्तारी–

(1) कोई मछली पदाधिकारी जो मत्स्य विकास अधिकारी के पद से नीचे का न हो या पुलिस पदाधिकारी, जो सब–इन्स्पेक्टर के पद से नीचे का न हो, या अन्य व्यक्ति जिसे राज्य सरकार इस सम्बन्ध में विशेष रूप से अधिकार दे,

किसी व्यक्ति को, जो उसके विचार में मछली पकड़ने का कोई अपराध कर रहा हो या करने की चेष्टा कर रहा हो, बिना वारन्ट के गिरफ्तार कर सकता है ।

(क) यदि उस व्यक्ति का नाम और पता उसे न मालूम हो; और

(ख) वह व्यक्ति अपना नाम और पता न बताता हो या यदि जो नाम पता उसने बताया हो उसके ठीक होने के सम्बन्ध में सन्देह करने का कारण हो।

(2) इस धारा के अधीन गिरफ्तार किया गया कोई व्यक्ति उस समय तक के लिये रोक रखा जा सकता है जब तक कि उसका नाम और पता ठीक–ठीक न मालूम हो जाय;

परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस प्रकार गिरफ्तार किया गया व्यक्ति उतने समय से अधिक न रोक रखा जायेगा जितना उसे मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करने के लिये आवश्यक हो, सिवाय उस दशा के जब किसी मजिस्ट्रेट ने उसे रोकने की आज्ञा दी हो।

(3) प्रत्येक मछली पदाधिकारी को मछली पकड़ने के अपराध के सम्बन्ध में तलाशी लेने और जांच पड़ताल करने के वही सब अधिकार प्राप्त होंगे, जो दण्ड प्रकिया संहिता 1973 के अधीन सब–इन्स्पेक्टर के पद के किसी पुलिस पदाधिकारी को प्राप्त है।

9.अपराध की संज्ञेयता–

किसी मछली पदाधिकारी या पुलिस पदाधिकारी, जो सब इन्पेक्टर के पद से निम्न पद का न हो या किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग द्वारा जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अधिकृत किये गये हों, अभियोग प्रस्तुत किये जाने की दशा के अतिरिक्त किसी अन्य दशा में कोई न्यायालय इस एक्ट के अधीन किसी अपराध की सुनवाई नहीं करेगा।

10.कुछ अपराधों के सम्बन्ध में समझौता करने का अधिकार–

(1) गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित कर राज्य सरकार किसी मछली पदाधिकारी को स्वयं उसके नाम या उसके पद से इस बात का अधिकार दे सकती है कि वहः–

(क) किसी ऐसे व्यक्ति से, जिसके विषय में ऐसा प्रमाण हो जिससे यदि उसका खण्डन न किया जाय, यह सिद्ध हो कि उस व्यक्ति ने परिशिष्ट के प्रथम स्तम्भ में उल्लिखित मछली पकड़ने का कोई अपराध किया है, उस अपराध के लिये मुआवजे के रूप से कोई धनराशि ग्रहण कर लें, जिसके सम्बन्ध में

ऐसा प्रमाण (साक्ष्य) हो और ऐसी धनराशि ऐसे पदाधिकारी को दिये जाने पर वह व्यक्ति हिरासत में हो, मुक्त कर दिया जायेगा और फिर उसके विरूद्ध और कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी;

(ख) किसी ऐसी सम्पत्ति को जो जब्ती के योग्य होने के कारण जब्त कर ली गई हो, बिना कोई और धनराशि लिये या उसका ऐसा मूल्य लेकर, जिसका अनुमान ऐसे पदाधिकारी ने लगाया हो, मुक्त कर दे और ऐसे मूल्य का भुगतान होने पर वह सम्पत्ति मुक्त कर दी जायेगी और उसके बारे में कोई अन्य कार्यवाही न की जायेगी ।

(2) उपधारा (1) के वाक्य खण्ड (क) के अधीन क्षतिपूर्ति के रूप में ग्रहण की गयी धनराशि किसी भी दशा में उस धनराशि से अधिक न होगी, जो परिशिष्ट के प्रथम स्तम्भ में वर्णित अपराध विशेष के लिये उसके द्वितीय स्तम्भ मुआवजे के रूप में ली जा सकती हो।

11.<u>अधिनियम लागू करने के लिये चिन्हित राज्य कार्मिकः–</u>

मत्स्य अधिनियम के निष्पादन के लिए नियुक्त किये गये सभी अधिकारी भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 के अन्तर्गत लोक सेवक माने जायेंगे।

परिशिष्ट

(धारा 10 देखिये)

क्षतिपूर्ति की अधिकतम धनराशि जो मछली पकड़ने के कतिपय अपराधों के लिये धारा 10 के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति के रूप में ली जा सकती है ।

अपराध का विवरण	क्षतिपूर्ति के रूप में ली जाने योग्य अधिकतम धनराशि
1.ऐसे जाल से मछली मारना,जिसके फंदे इस ऐक्ट के अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अनुसार निर्धारित नाप से छोटे हो।	एक हजार
2.बिना लाइसेंस के मछली मारना।	एक हजार
3.ऐसी मछलियों को मारना,पकड़ना या बेचना या मारने,पकड़ने या बेचने की चेष्टा करना जो इस एक्ट द्वारा निर्धारित माप से कम नाप तौल की हो।	पांच सौ
4. मछली मारना निषेध अवधि में ऐसी जाति की मछलियों को मारना,पकडना या बेचना या मारने पकड़ने बेचने की चेष्टा करना, जिन पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया हो।	पांच सौ
5. नियम के अधीन स्वीकृत विधियों के अतिरिक्त किसी अन्य विधि या उपकरण से मछली पकड़ना	पांच सौ
6. नियम के अधीन स्वीकृत,एक समय में दो से अधिक विधि या उपकरण का प्रयोग	पांच सौ
7. मछली मारते समय लाइसेंस दारो का बिना लाइसेंन्स वाले व्यक्तियों को अपनी जालों सहित मछली पकड़ने में सहायता देने के लिये नियुक्त करना या काम पर लगाना।	पांच सौ
8. ऐसे जलाशय में मछली पकड़ना या पकड़ने की चेष्टा करना, जिसमें मछली मारने का निषेध हो।	पांच सौ
9. ऐसी मछलियों को बचेने या अदला बदली करने के लिये उपस्थित या प्रदर्शित करना, जिनका धारा 4 के अधीन जारी की गई किसी विज्ञप्ति में निर्दिष्ट क्षेत्र में बेचना निषिद्व हो।	पांच सौ
10. धारा 3 की उप धारा (3) के वाक्य खण्ड(छः) के अन्तर्गत बनाये गये किसी नियम का उल्लघंन करके मछली को बाहर भेजना या भेजने की चेष्टा करना।	एक हजार
11. निर्दिष्ट बाजार से अधिक मूल्य पर मछली बेचना या बेचने की चेष्ठा करना।	पांच सौ

12. धारा (3) की उप धारा (3) के वाक्य खण्ड (ण) के अन्तर्गत बनाये गये किसी नियम का उल्लघंन करके मछली पकड़ने के उपकरण रखना। चार सौ

<u>उत्तरांचल की मुख्य नदियां एंव सहायक नदियां माहसीर एवं ट्राउट क्षेत्रों कोदर्शाते हुये</u>

जनपद	उत्तरांचल में नदी /सहायक नदी का नाम	उत्तरांचल में लम्बाई (कि0मी0)	माहसीर जौन (कि0मी0)	ट्राउट जौन (कि0मी0)
देहरादून	यमुना	50	30	–
	टौंस	45	–	15*
	सौंग	25	25	–
उत्तरकाशी	असीगंगा	34	–	34*
	यमुना	50	15(बड़कोट से नीचे)	35(बड़कोट से
	भागीरथी	140	45(गंगोरी से नीचे)	95(गंगोरी से
	टौंस	20	–	20
चमोली	रामगंगा(प0)	20	–	–
	पिण्डर	93	–	93*
	अलकनन्दा	150	–	150
	विश्नु गंगा	150	–	150
	विरही गंगा	50	–	50*
	गरूड़ गंगा	15	–	15
	बालखिला	15	–	15*
	अमृत गंगा	05	–	05
	नदांकिनी	40	–	40
	निगोल	15	–	15
	उपला	15	–	15
	अनन्तगाड़	20	–	20
रूद्रप्रयाग	नन्दाकिनी	100	(बासबारा से नीचे)	40(अगस्त ऊप

	काली नदी	10	—	10
	मदमहेश्वर	25	10	15
	कल्प गंगा	15	—	15
	काकड़ा नदी	15	—	15
टिहरी	भागीरथी	80	80	—
	भिलगंना	50	20(भागीरथी संगम से ऊपर)	—
पौड़ी	रामगंगा(प)	37	37	—
	अलकनंदा	50	50	—
	नयार(पू0)	60	60	—
	नयार(प0)	50	50	—
	गंगा	48	48	—
	नयार नदी	18	18	—
	कोठारी नदी	21	—	—
	पलान नदी	21	—	—
	खोह नदी	12	—	—
	गालिन नदी	12	12	—
	रेबासन नदी	15	—	—
	मिनायता नदी	12	—	—
	नल नदी	18	—	—
	हियाल नदी	27	—	—
	सोन नदी	12	—	—
हरिद्वार	गंगा	20	20	—
	सौग	05	05	—
	सुवा	12	12	—
कुमांयू				—
नैनीताल	कोसी	60	60	—
	गोला	50	15(काठगोदाम से ऊपर)	—
	नंधौर	30	30	—
	भवाली नाला	20	10(कैंची मंदिर से नीचे)	—
अल्मोड़ा	कोसी	58	58	—

	रामगंगा(प0)	77	77	–
	सुयाल	41	15(कोसी नदी संगम से ऊपर)	–
	गगास	38	38	–
	विनोद	20	–	–
	पनार	26	26	–
बागेश्वर	सरयू	57	40 (कपकोट से नीचे)	17(कपकोटसे ऊपर)
	लाहुर	10	10	–
	गोमती	40	40	–
	फनगाड़	20	20	–
	गरूड़ गंगा	10	10	–
पिथौरागढ़	रामगंगा	92	70(सरयू संगम से ऊपर)	22(तेजम से ऊपर)
	सरयू	60	60	–
	काली	190	150	40(धारचूला से ऊपर)
	गौरी	90	30(काली संगम से ऊपर)	60(मदकोट से ऊपर)
	धौली	80	–	–
	चरमागाड़	14	5	–
	ढुली गांड़	18	18	–
चम्पावत	काली	20	20	–
	लोहावती	40	40	–
	लधिया	50	50	–
उधमसिंहनगर	शारदा	10	–	–
	कैलाश	10	–	–

अधिकांश नदियों के ऊपरी भाग में असेला प्रजाति (स्नो ट्राउट) की मछलियों के प्राकृतिक निवास स्थल है।

- **वर्तमान ट्राउट क्षेत्र।**